



नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय


मेदिनीनगर, पलामू - 822101

अधिसूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक - DHEsec-5/AFFIL GEN COL-22/2020/HTESD-986, दिनांक 16.09.2020 के आलोक में झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (यथा संशोधित) की धारा 4(19) के तहत एवं अधिषद् (Senate) के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नलिखित महाविद्यालयों को द्विवर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-23 एवं 2022-24 के लिए वित्तीय भार रहित सशर्त अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है-

क्र०सं०	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र
1.	ज्योति प्रकाश महिला बी०एड० कॉलेज, डालटनगंज	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
2.	इलिट पब्लिक बी०एड० कॉलेज, चियांकी, डालटनगंज	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
3.	पंडित जगनारायण त्रिपाठी बी०एड० कॉलेज, डालटनगंज	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
4.	सिद्धनाथ बी०एड० कॉलेज, सण्डा, जपला, पलामू	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
5.	एस०बी० पाण्डेय सनातन TTC, रेहला, पलामू	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
6.	आर०के०वी०एस० संस्थान, सोनपुरवा, गढ़वा	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
7.	ईन्दिरा सिंह बी०एड० TTC, गढ़वा	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
8.	दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरठिया, गढ़वा	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
9.	गोपीनाथ सिंह बी०एड० कॉलेज, लातदाग, मेराल, गढ़वा	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
10.	कुमारेश इन्टरनेशनल बी०एड० कॉलेज, रजवाडीह, पलामू	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
11.	जी०एल०ए० बी०एड० कॉलेज, डालटनगंज	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24


Principal


29.9.2020

12.	कुवर पृथ्विनाथ सिंह बी०एड० कॉलेज, किन्नी, चैनपुर, पलामू	बी०एड० (अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण)	2021-23 एवं 2022-24
-----	--	--------------------------------------	---------------------------

शर्तें -

1. विभाग द्वारा महाविद्यालयों का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन०सी०टी०ई०/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन समय सीमा के अन्दर किया जाएगा ।
3. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भुवनेश्वर द्वारा लगाये गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।
4. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।
5. महाविद्यालय को दो वर्ष के अन्दर NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा ।

कुलपति के आदेशानुसार,
ह/-

कुलसचिव
नी०पी० विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर


Date - 29/09/2020


Memo No. - NPU/R/...696...../2020

प्रतिलिपि -

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ।
2. परीक्षा नियंत्रक, नी०पी० विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर ।
3. जन सूचना पदाधिकारी, नी०पी० विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर ।
4. नोडल पदाधिकारी, AISHE, नी०पी० विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर ।
5. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी संबंधित बी०एड० महाविद्यालय ।
6. कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को संबंधित पदाधिकारी के सूचनार्थ प्रेषित ।

Anuprash


Principal
Dinesh College of Education
Farathiya Garhwa Jharkhand


29.9.2020
कुलसचिव
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय
मेदिनीनगर, पलामू
रामेश्वर सिंह
29/9/20